आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

बलराम बनाम सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए क्रमांक 35 /2014

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.02.18	वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/तहसीलदार श्रीगंगानगर ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का. अ.की धारा 177 का पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 1 ए छोटी के मु.न. 77 के कि.न. 21 से 25 मु.न.80 के कि.न. 1 से 5 की 2.505 है. भूमि बिना संपर्तिवतन कराये अकृषि कार्य किया जा रहा है अतः उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है इस भूमि का संपर्तितन किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 27.01.2017 को विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का संपरिर्वतन किया जा चुका है । अधी.न्यायालय पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो उचित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा था जिस पर तहसीलदार ने अधी.न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में अधी.न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि विवादित भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है इसलिए वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। भूमि संपरिवर्तन हो चुकी है या नहीं इसका निर्णय तो अधी.न्यायालय में मूल वाद में होगा। रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम उपाय है इसका उपयोग सामान्यतः वहां किया जाता है जहां भूमि को खुर्दबुर्द होने का अन्देशा है। इस प्रकरण ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.01.2014 में रिसीवर नियुक्त का आदेश निरस्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि अधी.न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णत तक विवादित भूमि को रैहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं किया किया जावे। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)